मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

कमांक एफ : 6–14/2012/अ–ग्यारह भोपाल, दिनांक : .01.2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः–मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 के संबंध में स्पष्टीकरण।

———

राज्य शासन द्वारा ज्ञाप कमांक एफ 6–14/2012/अ–ग्यारह, दिनांक 28.07.2015 से जारी मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 के संबंध में उठाए गये प्रश्नों के संबंध में नियम 36 के अंतर्गत निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किये जाते हैं :–

क्र.	प्रश्न	स्पष्टीकरण
1	**नियम 10** (1) रूपये 20000 से 100000 तक की खरीदी हेतु क्या कोटेशन भी प्राप्त करने होंगे या केवल विभागीय क्रय समिति बाजार का सर्वे कर उपयुक्त आपूर्तिकर्ता की पहचान कर प्रमाण पत्र देकर क्रय कर सकती है ?	विभागीय क्रय समिति को दर की उपयुक्तता, गुणवत्ता, विनिर्देशन (स्पेसिफिकेशन) सुनिश्चित करने हेतु बाजार सर्वेक्षण उपरांत क्रय हेतु अनुशंसा करनी है। यह विभागीय क्रय समिति के विवेक पर निर्भर है कि वह किस प्रकार/आधार पर बाजार सर्वेक्षण करती है, साथ ही इस सर्वेक्षण हेतु क्या–क्या दस्तावेज प्राप्त करती है।
	(2) क्या यह प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विभागाध्यक्ष तक भेजा जाना है या कार्यालय प्रमुख ही स्वीकृति दे सकता है ?	नियम–5 के अन्तर्गत क्रय हेतु सक्षम प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है। अतः विभागीय क्रय समिति की अनुशंसा को स्वीकृत करने की कार्यवाही नियम–६ के प्रावधान के अनुसार की जाना है।

क्र.	प्रश्न	स्पष्टीकरण
	(3) इसके अंतिम पैरा में निर्देशित किया गया है की "इस पद्धति का उपयोग एक माह में दो बार से अधिक अवसरों पर नहीं किया जा सकेगा।" इस का क्या उद्देश्य है। क्या इस पद्धति के अनुसार माह में अधिकतम केवल रूपये 2 लाख की ही सामग्री कय की जा सकेगी। अथवा अधिक राशि की। यदि हां तो किस प्रकार ?	नियम–23 जो कि कय/उपार्जन प्रकिया में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, औचित्य एवं मितव्ययिता से संबंधित है, की कंडिका कमांक 15 में उल्लेखित निर्देशों के दृष्टिगत इस पद्धति का उपयोग माह में दो बार से अधिक अवसरों पर करना, प्रतिबंधित किया गया है। कंडिका कमांक 15 के अंतिम भाग में निम्नानुसार लेख है :– "कुल मांग के अनुमानित मूल्य के दृष्टिगत उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए सामग्री की मांग को विभाजित कर कय नहीं किया जाना चाहिए।" इस पद्धति से माह में अधिकतम केवल रूपये 2.00 लाख तक की सामग्री कय की जा सकती है। यदि अधिक राशि की सामग्री का कय किया जाना है तो उक्त स्थिति में सीमित निविदा अथवा खुली निविदा का उपयोग किया जाना होगा।
2	**नियम 11** (1) क्या इस (रूपये 1 लाख से 5 लाख तक के) कय की स्वीकृति विभागाध्यक्ष दे सकते हैं अथवा प्रशासकीय विभाग द्वारा दी जावेगी ? (2) आपूर्तिकर्ताओं को पंजीकृत करने का अधिकार किसे होगा, कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष को एवं इसकी प्रकिया क्या होगी। अर्थात् क्या किसी कार्यालय/विभाग की अलग–अलग शाखायें अलग–अलग आपूर्तिकर्ता की सूची बना सकते हैं एवं अपनी शाखा की सूची के साथ–साथ दूसरी शाखाओं की सूची के आपूर्तिकर्ताओं का उपयोग भी कर सकते हैं ? आपूर्तिकर्ताओं को पंजीबद्ध करने की प्रकिया क्या होगी ?	नियम–5 के अन्तर्गत कय हेतु सक्षम प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है। अतः विभागीय कय समिति की अनुशंसा को स्वीकृत करने की कार्यवाही नियम–5 के प्रावधान के अनुसार की जाना है। आपूर्तिकर्ता के पंजीयन के संबंध में निर्देश नियम–11 की कंडिका कमांक 11.1.7 (क) से (घ) तक दिये गये हैं।

क्र.	प्रश्न	स्पष्टीकरण
3	नियम 31 (1) विभागाध्यक्ष एक माह में कितने बार रूपये 100000 तक की सामग्री कय पर भंडार कय नियम से छूट प्रदाय कर सकते हैं ? (2) प्रशासकीय विभाग एक माह में कितने बार रूपये 500000 तक की सामग्री कय पर भण्डार कय नियम से छूट प्रदाय कर सकते हैं ?	नियम–31 के प्रावधान से यह स्पष्ट है कि भण्डार कय नियमों के प्रावधानों के पालन से छूट की निर्धारित राशि सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग.

पृ0क0: एफ : 6–14/2012/अ–ग्यारह. भोपाल, दिनांक : 7 01.2016

प्रतिलिपि :–

1/ अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2/ महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी ग्वालियर।
3/ मान. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
4/ सचिव, लोकसेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर।
5/ सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
6/ उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
7/ प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम, भोपाल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(अनिल भारतीय)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग.